राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर
(भामाशाह योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांकः एफ17(1)2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/पार्ट II/45186 दिनांकः 8/12/2015

आज्ञा

भामाशाह योजना-2014 के अन्तर्गत शासन सचिव, आयोजना द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ25(3)/आयोजना/सां.वि./2014 दिनांक 02.12.2014 द्वारा नामांकित परिवार की पात्र महिलाओं को भामाशाह कार्ड जारी होने पर उनके बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण करने हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर को अधिकृत किया गया है। वर्ष-2008 में महिलाओं के खोले गये 10.76 लाख बैंक खातो में भामाशाह कार्ड जारी होने पर उक्त खातो को पुनर्जीवित करवाकर प्रत्येक महिला मुखिया के बैंक खाते में 150 (एक सौ पच्चास रूपये) तथा भामाशाह योजना-2014 के अन्तर्गत बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय तथा अन्नापूर्णा परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भामाशाह कार्ड जारी होने पर प्रथम किश्त 1 हजार रूपये तथा इसके 6 माह पश्चात् द्वितीय किश्त की राशि 1 हजार रूपये हस्तान्तरित की जायेगी।

अतः भामाशाह योजना-2008 तथा भामाशाह योजना-2014 के लिए पात्र महिला मुखिया के बैंक खाते में नियमानुसार राशि हस्तान्तरण करने हेतु राजकॉम्प के पी.डी.खाता सं. 592- राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. में 75.00 करोड रूपये (अक्षरे रूपये पिंचेहत्तर करोड मात्र) बतौर अग्रिम हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नलिखित लेखाशीर्ष से प्रभार्य होगी तथा राशि जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गई है, उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जावेगी तथा तत्संबंधी नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जावेगी।

3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203- कम्प्यूटर सेवाएं
(02)- भामाशाह योजना
[01]- आर्थिक एवं सांख्यिकी
42- प्रोत्साहन एवं मानदेय (आयोजना)

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
फोन-0141-2222740/5167100 फेक्स-0141-2229756

यह स्वीकृति पत्रावली पर वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या-161401309 दिनांक 05/12/2014 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/पार्ट ॥ 45187-96 दिनांकः 8/12/2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय राज., जयपुर।
2. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग सचिवालय, जयपुर।
5. उप शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि 75.00 करोड रूपये (अक्षरे रूपये पिचेहत्तर करोड मात्र) राजकॉम्प के निजी निक्षेप खाता सं. 592- राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. में हस्तांतरण की कार्यवाही कराने के कष्ट करें।
6. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।
7. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर को भेजकर लेख हैं कि शासन सचिव, आयोजना द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ 25(3)/आयोजना/सां.वि./2014 दिनांक 02.12.2014 के अनुसार पात्र महिलाओं के बैंक खाते में नियमानुसार राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही करावें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
8. कोषाधिकारी कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
9. ए.सी.पी., मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
फोन-0141-2222740/5167100 फेक्स-0141-2229756